कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक/साख/एपी/2016/2023 भोपाल, दिनांक 3-8-2016

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के लिए पदोन्नति नीति/नियम संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 3/8/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक/साख/एपी/2016/2023 भोपाल, दिनांक 3-8-2016

प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3/8/16
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. साख/एपी/2016/2023 दिनांक 3-8-2016 से जारी किया गया

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, भोपाल

शीर्ष बैंक अधिकारी/कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति/नियम

अ) सामान्य पथ पदोन्नति के नीति/नियम –

शीर्ष बैंक अधिकारीं/कर्मचारियों हेतु सामान्य पथ पदोन्नति के लिए निम्नानुसार नीति/नियम का निर्धारण किया जाता है :–

1. **शीर्ष बैंक** से अभिप्राय "म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित" से है ।

2. **अधिकारी/कर्मचारियों** से अभिप्राय, वह अधिकारी/कर्मचारी है, जो म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में नियुक्त होकर कार्यरत है ।

3. **"बेंचमार्क ग्रेड"** से अभिप्राय है, पदोन्नति के लिये चयन सूची में सम्मिलित होने के लिये अर्हता होने वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में समग्र श्रेणीकरण के संबंध में न्यूनतम अपेक्षा

4. **"सेवा"** से अभिप्राय है, सेवा की संख्या या सेवा का भाग, जिसमें अस्थायी तथा स्थायी दोनों पद सम्मिलित है, और उसमें आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले एवं दैनिक मजदुरी पाने वालों के रूप में लगे हुये कर्मचारी सम्मिलित नहीं है ।

5. **"चयन सूची"** से अभिप्राय है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों की सूची जो संबंधित भर्ती नियमों उपबंधित किये गये अनुसार अगले वेतनमान या उच्च श्रेणी के पद के लिये उपयुक्त पाये जायें ।

5. **पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण :–**

5.1. मध्यम प्रबंधन–1 (प्रबंधक) से वरिष्ठ प्रबंधन (सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक) के अधिकारियों के लिये उपयुक्तता सह वरिष्ठता (Merit cum seniority) के आधार पर पदोन्नति पर विचार किया जावेगा।

जहॉ उपयुक्तता सह वरिष्ठता (Merit cum seniority) के आधार पर की जाना हो, विचारण क्षेत्र अर्थात श्रेणी/पद के वेतनमान में पात्र अधिकारी/कर्मचारी मे से पदोन्नति के लिये विचार किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी की संख्या निम्नानुसार होगी :–

वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार किया जावेगा
1	5
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16

निरन्तर-

आगे गणना के लिये फार्मूला यह रहेगा कि प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को दुगुना कर उसमें 4 जोड़कर विचारण क्षेत्र बनाया जावेगा, परन्तु जिन पदों पर इससे कम सेवायुक्त उपलब्ध है, वहां उपलब्ध सभी सेवायुक्तों पर विचार किया जावेगा।

उक्त श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता के लिये, बैंचमार्क ग्रेड **"बहुत अच्छा"** होगा।

विभागीय पदोन्नति समिति, विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारी की योग्यता का परस्पर तुलनात्मक मूल्यांकन करेगी और उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकारी की योग्यता का समग्र रूप से श्रेणीकरण करेगी और उन्हें "उत्कृष्ठ" (Meritorious), "बहुत अच्छा" (Very Good), "अच्छा" (Good), "संतोषजनक" (Satisfactory) एवं "घटिया" (Poor), जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में रखेगी । तथापि, केवल उन अधिकारी को जिन्हें "बहुत अच्छा" (Very Good) श्रेणीकृत अधिकारी को रखते हुये, रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुये, समान श्रेणी वाले अधिकारी के साथ श्रेणी/पद के वेतनमान में उनकी पारस्पारिक वरिष्ठता बनाये रखते हुये चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा ।

जहॉ विचारण क्षेत्र में अपेक्षित बैंचमार्क श्रेणी के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो, वहॉ अपेक्षित बैचमार्क के अधिकारी पेनल में रखे जाऐंगे और भरी नहीं गयी रिक्तियों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी, मूल विचारण क्षेत्र से परे अपेक्षित संख्या में अधिकारी पर विचार करके विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति की नयी बैठक आयोजित करेगा ।

मध्यम प्रबंधन–1 (प्रबंधक) से वरिष्ठ प्रबंधन (सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रकिया :–

1. मध्यम प्रबंधन–1 (प्रबंधक) से वरिष्ठ प्रबंधन (सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक) के पद पर पदोन्नति का मापदण्ड उपयुक्तता सह वरिष्ठता (Merit cum seniority) है तथा बैंचमार्क ग्रेड "बहुत अच्छा" (Very Good) निर्धारित होगा । यह बैंचमार्क ग्रेड विचाराधीन अवधि के समग्र मूल्यांकन (Over all grading) के आधार पर निर्धारित किया जावेगा ।

2. उपरोक्त उद्देश्य के लिये अधिकारियों के विचाराधीन अवधि की गोपनीय चरित्रावली के वर्गीकरण को अंको में व्यक्त किया जावेगा। इसके लिये "उत्कृष्ठ" (Meritorious) श्रेणी हेतु **4 अंक**, "बहुत अच्छा" (Very Good) श्रेणी हेतु **3 अंक**, "अच्छा" (Good) श्रेणी हेतु **2 अंक**, "संतोषजनक" (Satisfactory) श्रेणी हेतु **1 अंक** एवं "घटिया" (Poor) श्रेणी हेतु **ऋणात्मक 1 अंक** निर्धारित होगा । जिन अधिकारियों की विचाराधीन 5 वर्षो की गोपनीय चरित्रावली के अंको का कुल योग 15 से 19 अंक आता है, उनका विचाराधीन अवधि का समग्र मूल्यांकन "बहुत अच्छा" (Very Good) श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा, जिन अधिकारियों की विचाराधीन 5 वर्षो की गोपनीय चरित्रावलियों के अंको का कुल योग 20 अंक होता है, उन्हें "उत्कृष्ठ" (Meritorious) श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा।

3. जिन अधिकारियों को "उत्कृष्ठ" (Meritorious) श्रेणी में वर्गीकृत किया जावेगा, उन्हें चयन सूची में सबसे उपर रखा जावेगा। यदि एक से अधिक अधिकारी "उत्कृष्ठ" (Meritorious) श्रेणी में वर्गीकृत किये गये है, तो उन्हें उनकी वरिष्ठता (Seniority) बनाये रखते हुये चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा । तत्पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर "बहुत अच्छा" (Very Good) श्रेणी वाले अधिकारियों को उनकी श्रेणी/पद में उनकी पारस्पारिक वरिष्ठता बनाये रखते हुये चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा ।

4. उदाहरणार्थ किसी श्रेणी में 3 रिक्तियों के लिये चयन सूची बनानी है और विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों का वरिष्ठता कमांक एवं विचाराधीन अवधि की गोपनीय चरित्रावली के अंको का योग निम्नानुसार है :–

श्रेणी में वरिष्ठता कमांक	अधिकारी का नाम	विचाराधीन अवधि की गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन का योग
10	क	15
11	ख	14
12	ग	13
13	घ	16
14	ङ	17
15	च	18
16	छ	20
17	ज	16
18	झ	20
19	य	18

उपलब्ध 3 रिक्तियों के लिये चयन सूची निम्नानुसार बनायी जावेगी :–

चयन सूची में सरल कमांक	अधिकारी का नाम	प्राप्तांक	श्रेणी में वरिष्ठता कमांक
1	छ	20	16
2	झ	20	18
3	क	15	10
4	घ	16	13 (अप्रत्याशित के लिये व्यक्ति)
5	ङ	17	14 (अप्रत्याशित के लिये व्यक्ति)

5. जिस श्रेणी/पद के वेतनमान में अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, वहॉ अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षो के आधार पर उक्तानुसार अंको की गणना की जावेगी।

6. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचाराधीन अवधि की गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर अंको का निर्धारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। यदि समिति गोपनीय चरित्रावली में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी

निरन्तर–

द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत नही है, तो वह इसके लिये अपने कारण लिपिबद्ध करते हुये मूल्यांकन करेगी, परंतु समिति स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त अंक में केवल 1 अंक बढा सकेगी अथवा घटा सकेगी । उदाहरणार्थ, किसी अधिकारी की वर्ष 2000 की गोपनीय चरित्रावली में प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन 'अच्छा' का किया गया है परंतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने मूल्यांकन "उत्कृष्ट" श्रेणी किया है, जिसमें संबंधित अधिकारी को 4 अंक प्राप्त होने चाहिये । पदोन्नति समिति उसके द्वारा लिपिबद्ध किये गये कारणों से स्वीकृतकर्ता अधिकारी के उपरोक्त मूल्यांकन से सहमत नहीं है तो वह उक्त 4 अंकों में केवल 'एक' अंक ही कम कर सकेगी । इस स्थिति में संबंधित अधिकारी की वर्ष 2000 की गोपनीय चरित्रावली में पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा किये गये पुर्नमूल्यांकन के आधार पर 3 अंक प्राप्त होगे ।

स्पष्टीकरण :- बैंक कर्मचारी सेवानियम कमांक 10.1 अनुसार वरिष्ठता के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है, जिसका की पालन उपरोक्त वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में किया जावेगा :-

(अ) प्रत्येक सेवायुक्त की वरिष्ठता का निर्धारण उसकी श्रेणी अनुसार किया जावेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्थायी एवं अस्थायी सेवायुक्तों की वरिष्ठता सूची श्रेणीवार तैयार की जाकर प्रकाशित की जावेगी।

(ब) सेवायुक्त की वरिष्ठता का निर्धारण किसी श्रेणी में उसके नियुक्ति दिनांक के आधार पर किया जावेगा। जब दो या दो से अधिक सेवायुक्त किसी श्रेणी में समान तिथि पर स्थायी हुए हो एवं स्थायीकरण संबंधी जारी आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण सेवायुक्त के पूर्व की श्रेणी में स्थायी होने की तिथि के आधार पर किया जावेगा। जब दो या दो से अधिक सेवायुक्तों की नियुक्ति दिनांक एक ही श्रेणी या एक से अधिक श्रेणियों में होती है तो वरिष्ठता का निर्धारण का आधार सीधे भर्ती चयन सूची के आधार पर होगा।

(स) किसी एक ही तिथि पर सीधी भर्ती से नियुक्त एवं पदोन्नति के आधार पर नियुक्त सेवायुक्त की वरिष्ठता के निर्धारण में पदोन्नति के आधार पर नियुक्त सेवायुक्त की वरिष्ठता मान्य की जाएगी।

7. वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर मेरिट का निर्धारण कंडिका कमांक-2 से 5 तक में बताई गई प्रकिया के अनुसार किया जायेगा तथा पदों की रिक्तता के आधार पर एक पद के लिए केवल 3 अधिकारियों के मान से साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए योग्य अधिकारियों की गणना की जावेगी। यदि निम्न पद पर कर्मचारियों की संख्या 3 से कम है तो निम्न पद के जितने अधिकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ही उन्हें साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार स्टाफ कमेटी के द्वारा लिया जायेगा तथा इसमें नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्था के किसी भी एक अधिकारी को विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में केवल 50 अंक होंगे तथा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक धारित करने वाले अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। यदि दो अधिकारियों को समान अंक प्राप्त होते है तो उसमें चयन का आधार गोपनीय चरित्रावली के आधार पर की गई मेरिट की गणना के अनुसार होगा।

5.2. मध्यम प्रबंधन–2 (उपप्रबंधक) एवं उससे नीचे अधीनस्थ श्रेणी तक के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वरिष्ठता सह उपयुक्तता (Seniority cum merit) के आधार पर पदोन्नति पर विचार किया जावे। ऐसे मामलों में जहॉं पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (Seniority cum merit) के आधार पर की जानी हो, वहॉं सभी संवर्गो के लिए कोई विचारण क्षेत्र नही होगा। इन पदों पर बैंक सेवानियम में वरिष्ठता सह योग्यता का प्रावधान होने से उनकी विचारण में ली गई गोपनीय चरित्रावलियों में "2 ग (संतोषजनक)/पुअर" श्रेणी होने पर पदोन्नति के योग्य नहीं माना जावेगा ।

5.3. पदोन्नति के लिये केवल ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जावेगा, जिन्होने भर्ती के सेवानियमों के अनुसार सेवा के भाग/पद के वेतनमान में विहित अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो, तथापि उन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, परंतु केवल उतनी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जावेगा, जो प्रत्येक श्रेणी के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्तयों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी, इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो अधिकारी/कर्मचारी के या चयन सूची में सम्मिलित अधिकारी/कर्मचारियों के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी के लिये अपेक्षित संख्या में अधिकारी/कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण :– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :–संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, प्रथम अप्रेल को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जावेगी, जिसमें अधिकारी/कर्मचारी उस श्रेणी के वेतनमान में आया है और उस श्रेणी के वेतनमान में आने की तारिख से गणना नहीं की जावेगी।

वर्ष अर्थात, 1 अप्रेल से 31 मार्च के दौरान पदोन्नति के लिये रिक्तियों की संख्या की गणना, विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर श्रेणी के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखकर की जावेगी।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बैंक सेवानियमानुसार प्रतिवर्ष आयोजित की जावेगी। यह सबसे पूर्व के वर्ष प्रांरभ करते हुये आगे प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में प्रथक से पदोन्नति के लिये अधिकारी/कर्मचारियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी। विभागीय पदोन्नति समिति प्रथक से पूर्व के वर्ष/वर्षो की बिना भरी रिक्तियों को भरने के लिये पदोन्नति हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी और संबंधित वर्ष के लिये तद्नुसार चयन सूची तैयार करेगी। तत्पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति, चालू वर्ष की विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये अधिकारी/कर्मचारियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी ।

विभागीय पदोन्नति समिति, अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षो की गोपनीय चरित्रावलियों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी । तथापि उन मामलों, जहॉं अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षो के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी ।

निरन्तर.

जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय चरित्रावली किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो, तो विभागीय पदोन्नति समिति विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षो की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली पर विचार करेगी।

इस पद्धति से पदों को भरने के लिये, विभागीय पदोन्नति समिति प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के मामले पर उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर प्रथक–प्रथक विचार करेगी, अर्थात अधिकारी/कर्मचारी की योग्यता का कोई तुलनात्मक निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा । विभागीय पदोन्नति समित प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के अभिलेखों पर प्रथक–प्रथक विचार करेगी तथा उन्हें उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त के रूप में वर्गीकृत करेगी ।

प्रत्येक सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारी/कर्मचारी के नाम उनकी वरिष्ठता के उसी कम में रखे जावेंगे, जिस कम मे वे उस श्रेणी/पद के जिससे की उनकी पदोन्नति की जानी है, वेतनमान में विद्यमान है ।

जब कोई ऐसा अधिकारी/कर्मचारी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नति से इंकार करता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकेगा कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाये । सुसंगत बातों पर ऐसे अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा। यदि पदोन्नति से इंकार के लिये प्रस्तुत किये गये कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य है, तो चयन सूची में, के अगले कम के अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकेगा। तथापि ऐसे अवसर पर, जिस पर पेनल की विधि मान्यता की अवधि के दौरान कोई रिक्ति उद्भूत होती है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जो पदोन्नति से प्रारंभिक रूप से इंकार कर चुके हों, नियुक्ति प्रस्थापित करना प्रशासनिक रूप से संभव या वांछनीय नहीं हो, ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने की तारिख से एक वर्ष की कालावधि के लिये या अगली रिक्ति के उद्भुत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जावेगा। उच्च श्रेणी/पद के वेतनमान में पारिणामिक पदोन्नति पर, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी उच्च श्रेणी/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किये गये उसके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जायेगा ।

उन मामलों में, जहाँ किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के लिये उसके इंकार के लिये प्रस्तुत किये गये कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हो, वहाँ वह अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति स्वीकार करने के लिये बाध्य करेगा और उस दशा में, जब अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नत किये जाने के लिये तब भी इंकार करता है, तब उसके आदेश का पालन करने से इंकार के लिये उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

6 पदोन्नति हेतु विगत 31 मार्च पर जारी वरिष्ठता सूची वरिष्ठता के लिए मूल आधार होगी तथा इस वरिष्ठता सूची में किसी न्यायालयीन आदेश के आधार पर या अन्य आदेश से कोई परिवर्तन हुए है, तो उनको भी विचार में शामिल किया जावेगा ।

7 बैंक के प्रशासन कक्ष द्वारा आलोच्य अवधि में बैंक सेवायुक्तों को दिये गये दण्ड का प्रमाण पत्र, बैंक सेवायुक्तों पर प्रचलित विभागीय जांच/कारण बताओ सूचना

निरन्तर.

पत्र तथा लघुशास्ति के नोटिस का प्रशासन कक्ष द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। इसके अतिरिक्त बैंक सेवायुक्तों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण में प्रस्तुत चालान को भी विचारण में लिया जावेगा, जिसका भी प्रमाण पत्र प्रशासन कक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

8 जिन सेवायुक्तों के विरूद्ध विभागीय जॉच/कारण बताओ सूचना पत्र, लघुशास्ति का नोटिस लंबित है, उनके विचारण में लिये गये निर्णय को सील कवर किया जावेगा । जिन सेवायुक्तों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत है, उन्हें पदोन्नति हेतु विचारण में लिया जाकर उनके प्रकरण में निर्णय सील कव्हर में रखा जावेगा, जिसे प्रकरण के निराकरण के बाद खोला जायेगा।

9 बैंक प्रशासन कक्ष द्वारा गोपनीय चरित्रावली में दण्डादेश/लंबित कार्यवाही तथा अपराधिक प्रकरणों में प्रस्तुत चालान का विवरण तैयार कर कक्ष के प्रभारी सहित संबंधितों से हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया जायेगा। गोपनीय चरित्रावलियों के चार्ट को कक्ष द्वारा कक्ष प्रभारी सहित सभी के हस्ताक्षर के उपरांत बैंक सेवा से अलग 4 विशिष्ट अधिकारियों से उनकी जांच कराई जाकर प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रकार उपयुक्त जांच के उपरांत प्रस्तुत गोपनीय चरित्रावली के चार्ट तथा विभिन्न कार्यवाहियों के प्रमाण पत्र के आधार पर स्टॉफ कमेटी पदोन्नति का निर्णय लेगी।

10. पदोन्नति की पूर्व बैठक में प्रदान की गयी पदोन्नति में निर्धारित पदोन्नति नीति अनुसार जिन सेवायुक्तों द्वारा पदोन्नति का त्याग किया गया है एवं 2 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा ।

11. बैंक सेवानियम कमांक 7.2 की अनुसूची 7 अनुसार सामान्य चैनल में पदोन्नति हेतु बैंकिंग सहायक को 6 वर्ष तथा लेखाधिकारी, सहायक प्रबंधक, उपप्रबंधक एवं प्रबंधक (सहायक महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक के लिए 3 वर्ष कार्यानूभव आवश्यक होगा) 5 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव नही होगा, उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।

किन्तु बैंक सेवानियम कमांक 7.2.3 (6) अनुसार पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवाओं की गणना के लिए कैलेण्डर ईयर को आधार माना जायेगा, परंतु यदि किसी वर्ष में सेवायुक्त की 9 माह से अधिक सेवा है, तो उसे पूर्ण कैलेण्डर माना जावेगा।

12 जिन सेवायुक्तों की प्रोबेशन अवधि को समाप्त नहीं किया गया है, वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे ।

13. विभिन्न अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली की समीक्षा स्टाफ कमेटी कर सकेगी तथा पर्याप्त आधार होने पर गोपनीय चरित्रावली की एक श्रेणी कम या अधिक करने का निर्णय स्टाफ कमेटी ले सकेगी ।

14. उपरोक्त नीति के आधार पर पदवार पदोन्नति के सबंध में स्टाफ उपसमिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

निरन्तर-

14.1 चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची –

स्टाफ उपसमिति द्वारा पदोन्नति नीति के अनुसार लिये गये निर्णयानुसार पदोन्नति की पदवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतिक्षा सूची में 2 अथवा कुल पदों के 25 प्रतिशत के मान से नामों की सूची तैयार की जावेगी।

14.2 सूची की प्रभावशीलता–

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की प्रभावशीलता अवधि स्टाफ उपसमिति की बैठक दिनांक की दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारिख से 18 माह की अवधि से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी। उक्त अवधि बढाये जाने का निर्णय स्टाफ उपसमिति द्वारा लिया जावेगा।

ब) तेजपथ पदोन्नति के नीति/नियम –

शीर्ष बैंक अधिकारीं/कर्मचारियों हेतु तेजपथ पदोन्नति के लिए निम्नानुसार नीति/नियम का निर्धारण किया जाता है :–

1. तेजपथ चैनल से पदोन्नति हेतु पदोन्नत पद के नीचे की श्रेणी के सेवायुक्तों को पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। बैंक सेवानियम कमांक 7.2 की अनुसूची 7 अनुसार तेजपथ पदोन्नति हेतु बैंकिंग सहायक को 4 वर्ष तथा लेखाधिकारी, सहायक प्रबंधक, उपप्रबंधक एवं प्रबंधक 3 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव नही होगा, उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा। किन्तु बैंक सेवानियम कमांक 7.2.3 (6) अनुसार पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवाओं की गणना के लिए कैलेण्डर ईयर को आधार माना जायेगा, पंरतु यदि किसी वर्ष में सेवायुक्त की 9 माह से अधिक सेवा है, तो उसे पूर्ण कैलेण्डर माना जावेगा।

2. पदोन्नति हेतु कुल स्वीकृत पदों में से तेजपथ चैनल के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिये स्टाफ कमेटी के निर्णय अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित करायी जायेगी।

3. लिखित परीक्षा के लिये 90 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे।

4. लिखित परीक्षा में निर्धारित पूर्णांक के 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही साक्षात्कार की पात्रता रहेगी।

5. बैंक सेवायुक्तों का साक्षात्कार स्टाफ कमेटी के समक्ष होगा।

6. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर वरीयता क्रम में रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सेवायुक्तों को स्टाफ कमेटी के द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाएगी तथा रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जिसकी प्रभावशीलता एक वर्ष तक रहेगी।

निरन्तर –

7. साक्षात्कार के समय स्टाफ उपसमिति जिन सेवायुक्तों के विरूद्ध विभागीय जॉच/कारण बताओ सूचना पत्र, लघुशास्ति का नोटिस/आपराधिक प्रकरणों में चालान के अन्तर्गत कार्यवाही लंबित है, के पदोन्नति का निर्णय लेकर निर्णय को सील कवर किया जावेगा। जिसे प्रकरण के निराकरण के बाद खोला जायेगा।

8. बैंक के प्रशासन कक्ष द्वारा गोपनीय चरित्रावली में दण्डादेश/लंबित कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरणों में प्रस्तुत चालान का विवरण तैयार कर कक्ष के प्रभारी सहित संबंधितों से हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया जायेगा। गोपनीय चरित्रावलियों के चार्ट को कक्ष द्वारा कक्ष प्रभारी सहित सभी के हस्ताक्षर के उपरांत बैंक सेवा से अलग 4 विशिष्ट अधिकारियों से उनकी जांच कराई जाकर प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रकार उपयुक्त जांच के उपरांत प्रस्तुत गोपनीय चरित्रावली के चार्ट तथा विभिन्न कार्यवाहियों के प्रमाण पत्र के आधार पर स्टाफ उपसमिति साक्षात्कार के दौरान पदोन्नति का निर्णय लेगी ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश